



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001
ई-मेल Web site: registrarsnpv@gmail.com

क्रमांक 1215 / स्था. / 2026

रायगढ़ दिनांक 10/08/2026

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक ESTB/4644/2026/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.07.2026 के अनुसार शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) में विषय – गणित, भौतिक, कम्प्यूटर साइंस, प्रबंधन अध्ययन (बी.बी.ए.), वाणिज्य (बी.कॉम) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 11.08.2026 से 24.08.2026 समय 10:30 से 05:30 बजे (कार्यालय समय) तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

- 1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- 2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के सामने न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने से सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
- 3 आयु सीमा- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक 1 अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
- 4 छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्र.	पद	विषय का नाम	पदों की संख्या*
1	अतिथि व्याख्याता	गणित	01
2	अतिथि व्याख्याता	भौतिक	01
3	अतिथि व्याख्याता	कम्प्यूटर साइंस	01
4	अतिथि व्याख्याता	प्रबंधन अध्ययन (बी.बी.ए.)	01
5	अतिथि व्याख्याता	वाणिज्य (बी.कॉम)	01
		कुल पद	05

नोट -

1. *पदों की संख्या विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
2. शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश एवं नियमों का पालन किया जाएगा।
3. विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं सूचना पटल पर उपलब्ध है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार



कुलसचिव

क्रमांक 1216 / स्था./2026

रायगढ़ दिनांक 10/08/2026

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. कुलपति के निज सहायक को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति



प्रभारी अधिकारी (स्थापना)